

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

अनुपसिंह बनाम पवनसिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 267/2020

निर्णय दिनांक :- 02-11-2021

वादी की ओर से वकील श्रीमती तारुणी को ओर से वकील श्रीमती तारुणी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रही भोजा डाकडी के खाता सं० 171/156 के खसरा सं० 232/1 की 0.5690 हे०, खसरा सं० 232/2 की 1.4750 हे० वाराना कुल 2.0440 हे० वाराना खातदारी प्रतिवादी सं० पवनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मंजूर प्रतिवादी सं० पवनसिंह का नाम नलभूषण विभागा जाकर वादी अनुपसिंह व प्रतिवादी सं० 2 आन-2 के वादरसा बराबर के खातेदार का खाता व वीबित किया जावे है यदि प्रतिवादी सं० ने अपना सम्पूर्ण हक व दिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पास में त्याग कर दिया कर लिया है इसलिए त्याग किसे गये दिस्से पर पंजीयन विभाग का देय पंजीयन विभाग का देय पंजीयन क्लक एवं स्थान उभयों अदा करव व यदि कृषि युक्ति सेवक के खेन हो तो रजमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अन्त प्रामय किया जावे। रंजीतगामा का डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़